आरएमजीबी
RMGB

e-Circular
HRMS&PPG CELL
Circular No. : 169/PPG/39/2020-21
Date: 30.10.2020

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 का क्रियान्वयन – पेंशनधारक एवं कुटुम्ब पेंशनधारक का जीवन प्रमाण पत्र

बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या : 176 पेंशन/ 61/2018–19 दिनांक 01.01.2019 एवं परिपत्र संख्या : 85 कार्मिक/ 37/2019–20 दिनांक 06.07.2019 का अवलोकन करें , जिसके द्वारा कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले परिलाभों के संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश एवं प्रपत्रों के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किये गये थे। इसी क्रम में लेख हैं कि :–

1. **सभी पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक को प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक हैं ।** सभी पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक पेंशन भुगतान शाखा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र संलग्न (Pension Format 6) प्रारूप मे दो प्रतियों में अद्यतन कर दिनांक 15.11.2020 तक सुपुर्द करेंगे ।

2. भविष्य निधि कार्यालय द्वारा ईपीएफ पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया गया हैं , अतः पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिक) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक को भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त होने वाली ईपीएफ पेंशन राशि जिस खाते में जमा हो रही हैं , उस खाते की प्रति प्राप्त कर (जिसमे ईपीएफ पेंशन राशि 1 अप्रेल,2020 के बाद जमा की गई हो) हमें प्रेषित करें ।

3. मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र **(Pension Format 6)** के साथ संलग्न प्रारूप में **Certificate of Non-Marriage / Re-Marriage (Pension Format 8)** दो प्रतियों में अद्यतन कर दिनांक 15.11.2020 तक पेंशन भुगतान शाखा को सुपुर्द करेंगे ।

सभी शाखा प्रबन्धकों को सूचित किया जाता हैं कि उनकी शाखा में जिन पेंशनधारकों (सेवानिवृत कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों के खाते हैं, उनके स्वयं शाखा में उपस्थित होने पर जीवन प्रमाण पत्र (Pension Format 6) के प्रारूप मे सभी सूचना अंकित करवा कर उनके हस्ताक्षर /अंगूठा निशान करवावें तथा हस्ताक्षर का सत्यापन खाते में किये गये हस्ताक्षर से कर ही शाखा प्रबन्धक अपने हस्ताक्षर अपना नाम/पद मय सील अंकित कर उनके जीवन प्रमाण पत्र , **Certificate of Non-Marriage / Re-Marriage** (Pension Format 8) व अन्य प्रपत्र दिनांक 20.11.2020 तक प्रधान कार्यालय पेंशन प्रकोष्ठ को प्रेषित करें । जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Marriage / Re-Marriage** (Pension Format 8) की एक प्रति शाखा अभिलेख में सुरक्षित रखें ।

समस्त शाखा प्रबन्धकों /प्रभारी ए.एम.एच./क्षेत्रीय प्रबन्धकों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता हैं कि कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिको के संज्ञान में लाया जाना सुनिश्चित करें । परिपत्र की एक प्रति शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावें ।

इस परिपत्र की प्रति बैंक की वेबसाइट www.rmgb.in पर अपलोड की जा रही हैं । तद्नुसार पेंशनधारको/ कुटुम्ब पेंशनधारकों को अवगत करावें ।

(अनिल सोगानी)
महाप्रबन्धक

संलग्न : यथोक्त

(पेंशनर हेतु)

FORMAT - 6

.... **STAFF PENSION*** **(GENERAL PENSION)**		**Customer ID**	
.... **FAMILY PENSION***		**S B A/C No**	

(**Please* ✓ *as applicable)*

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by the Pensioner once in a year in November)

Certified that I have seen the pensioner .... (name)

....

.........................(address) holder of PPO No................................. and that he /she is alive on this day. His / Her AADHAAR No ....

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner with date)

(Signature with office seal)

Date:........................ Name:...

Place:..................... Designation:......................Branch: ... .

ई.पी.एस. पेंशन का विवरण

मुझे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा माह अप्रेल,2020 से माह.........................,2020 तक ईपीएफ पेंशन की राशि रूपये ....(अक्षरे रूपये ....मात्र मेरे खाता संख्या ....में जमा हुई हैं, साक्ष्य स्वरूप उक्त खाते की पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति संलग्न हैं ।

दिनांक

(पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर के हस्ताक्षर)

संलग्न : पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति

(कटुम्ब पेंशनर हेतु)

FORMAT - 6

.... STAFF PENSION* (GENERAL PENSION)		Customer ID	
.... FAMILY PENSION*		S B A/C No	

(*Please √ as applicable)

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by the Pensioner once in a year in November)

Certified that I have seen the pensioner .... (name) ....(address) holder of PPO No.................................. and that he /she is alive on this day. His / Her AADHAAR No ....

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner with date)

(Signature with office seal)

Date:......................... Name:...

Place:..................... Designation:......................Branch: ... .

FORMAT – 8

CERTIFICATE OF NON- REMARRIAGE / NON-MARRIAGE (APPLICABLE *FOR FAMILY PENSIONERS ONLY*)

* I hereby declare that I have not got re-married and I undertake to report the same promptly in the event of my re-marriage. (Applicable for widow / widower Family Pensioner)

* I hereby declare that I am not married and I undertake to report the same promptly in the event of my marriage. (Applicable for un-married daughter Family Pensioner)

(* Please delete which is not applicable)

Signature of the Family Pensioner:

Name of the pensioner: ....

Place :...Date: ....

I certify to the best of my knowledge and belief the above statement is correct.

(Signature of the Bank's Officer or respectable /well known person)

Place : .... Date ....

Name : .... Designation:...

Address: ....

....

P.T.O.

ई.पी.एस. पेशन का विवरण

मुझे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा माह अप्रेल,2020 से माह..........................,2020 तक ईपीएफ पेंशन की राशि रूपये ....(अक्षरे रूपये ....मात्र मेरे खाता संख्या ....में जमा हुई हैं, साक्ष्य स्वरूप उक्त खाते की पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति संलग्न हैं ।

दिनांक

(कुटुम्ब पेंशनर के हस्ताक्षर)

संलग्न : पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति